प्रेस नोट
दिनांक 22.03.2026

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा 12 मय कारतूस बरामद–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 61/2026 धारा 109(1),131/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त बांके उर्फ शिव ओंकार यादव पुत्र स्व0 रामउजागर यादव निवासी काजीपुरवा मौजा अमदही थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को काजीपुरवा गांव के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी आशीष पाण्डेय पुत्र सत्य प्रकाश पाण्डेय नि0 काजीपुरवा थाना उमरीबेगमगंज द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि आज दिनांक 21.03.2026 को समय लगभग प्रातः 11:00 बजे, प्रार्थी ट्रैक्टर से सूखी लकड़ी लेकर अपने घर वापस आ रहा था। तभी पूर्व से चली आ रही जमीनी विवाद की रंजिश के कारण अभियुक्त बाँके उर्फ शिव ओमकार यादव पुत्र राम उजागर यादव, निवासी उपरोक्त, धन गंज बाँधे के पास घात लगाकर बैठा था। अभियुक्त द्वारा प्रार्थी को देखते ही अवैध असलहे से फायर किया गया, जिसमें प्रार्थी किसी तरह बाल–बाल बच गया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी अभियुक्त बांके उर्फ शिव ओंकार यादव पुत्र स्व0 रामउजागर यादव निवासी काजीपुरवा मौजा अमदही थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को काजीपुरवा गांव के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. बांके उर्फ शिव ओंकार यादव पुत्र स्व0 रामउजागर यादव निवासी काजीपुरवा मौजा अमदही थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 61/2026 धारा 109(1),131/352/351(3) बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह
02. उ0नि0 सुभाष यादव
03. का0 ऋषिकेश
04. का0 संजीव कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 22.03.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–60/2025 धारा 191(2), 191(3), 110, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 109(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नित्यानन्द तिवारी उर्फ नेता पुत्र रामलखन तिवारी निवासी पोर्टरगंज पथवलिया थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को गुरूनानक चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी हर्ष वर्धन सिंह पुत्र महेश प्रताप सिंह निवासी गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 27/01/2025 को ग्राम पथवलिया में जमीन क्रय वार्ता के दौरान विपक्षीगणों द्वारा एक राय होकर धारदार हथियारों से हमला किया गया। घटना में प्रार्थी के पिता को गंभीर सिर में चोट आई, सहयोगी अमर यादव का कान कट गया तथा कामाख्या सिंह का पैर टूट गया। साथ ही वाहन संख्या UP32FV3233 को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घायलों को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें आज दिनांक 22.03.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा घटना में सलिप्त वांछित अभियुक्त नित्यानन्द तिवारी उर्फ नेता पुत्र रामलखन तिवारी को गुरूनानक चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. नित्यानन्द तिवारी उर्फ नेता पुत्र रामलखन तिवारी निवासी पोर्टरगंज पथवलिया थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 60/2025 धारा 191(2), 191(3), 110, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 109(1) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. अति0प्र0नि0 सभाजीत सिंह।
02. हे0कां0 अभय प्रताप यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 22.03.2026</u>

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर धोखाधड़ी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 558/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 352, 351(3), 331(4), 305 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त– सत्यम मिश्रा पुत्र कौशल किशोर निवासी कटहा घाट मिश्रनपुरवा थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा को मुन्नन खाँ चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>
वादी सतीश मिश्रा पुत्र रूप नारायण मिश्रा निवासी महराजगंज, गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी ने वर्ष 2023 में गाटा संख्या 489/0.1300 हे० की जमीन खरीदी थी, जिस पर दीवार, टीनशेड आदि बनाकर कब्जा किया गया था। वर्ष 2024 में प्रार्थी की अनुपस्थिति में विपक्षीगण द्वारा दीवार तोड़कर अंदर रखा सामान चोरी कर लिया गया। इसके बाद विपक्षीगण द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर दिनांक 06.02.2025 को उक्त जमीन का फर्जी बैनामा कराकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है तथा विरोध करने पर जान–माल की धमकी दी जा रही है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 22.03.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त सत्यम मिश्रा पुत्र कौशल किशोर निवासी कटहा घाट मिश्रनपुरवा थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा को मुन्नन खाँ चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>
01. सत्यम मिश्रा पुत्र कौशल किशोर निवासी कटहा घाट मिश्रनपुरवा थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>
01. मु0अ0सं0–558/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 352, 351(3), 331(4), 305 बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>
01. उ0नि0 विभव तिवारी, चौकी प्रभारी सद्भावना
02. का0 पंकज कुमार

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 22.03.2026

गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त की अपराध से अर्जित अवैध सम्पति (भूमि) कीमत 7,62,450/- रुपये की धनराशि कुर्क-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाने तथा संगठित अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के आर्थिक स्रोतों को ध्वस्त करने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में बड़ी कार्यवाही की गयी है। इसी क्रम में संगठित गिरोह बनाकर मारपीट एवं गम्भीर अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करने वाले अभियुक्त अनन्तराम यादव पुत्र छोटे लाल निवासी खुर्दाबाद जफरापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर अवैध अर्जित संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की गयी थी। श्रीमान जिलाधिकारी, जनपद गोण्डा द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में राजस्व विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही संपन्न की गयी। इस दौरान अभियुक्त के भिन्न-भिन्न गाटा सं0 की भूमि कीमती 7,62,450/- रुपये की कुर्क की गयी। गोण्डा पुलिस की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि संगठित अपराध कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा तथा उनके आर्थिक तंत्र को विधिक प्रावधानों के तहत ध्वस्त किया जाएगा। इस प्रकार की कार्यवाही से अपराधियों में भय व्याप्त है तथा आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है। जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा गैंगस्टरों एवं समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध उनके आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध संपत्तियों के चिन्हीकरण, कुर्की एवं जब्तीकरण की कार्रवाई आगे भी निरंतर, कठोर एवं प्रभावी रूप से जारी रहेगी।

जब्त सम्पत्ति का विवरण-

1. गाटा सं0 645/0.042 हे0 व गाटा सं0 646/0.0753 हे0 कीमती 7,62,450/- रू0

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0 27/2025 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर अधिनियम थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

सीज/कुर्की करने वाली टीम का विवरण-

01. श्री जयशंकर सिंह नायब तहसीलदार।
02. श्री अभय सिंह थानाध्यक्ष नवाबगंज मय टीम।
03. श्री विपुल कुमार पाण्डेय थानाध्यक्ष वजीरगंज मय टीम।
04. श्री परशुराम मिश्रा आरआई।
05. श्री सिद्धार्थ द्विवेदी लेखपाल।
06. श्री ओमप्रकाश वर्मा लेखपाल।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट

दिनांक 22.03.2026

थाना को० नगर व SOG/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान मुठभेड़ में 01 शातिर अंतर्जनपदीय पशु चोर गोली लगने से घायल सहित 05 शातिर अंतर्जनपदीय पशु चोर गिरफ्तार,कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01/01 जिंदा व खोखा कारतूस बरामद, 1 चार पहिया वाहन (पिकअप), चोरी की हुई एक भैंस, एक पाड़ा व ₹17 हजार ₹ नकद बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में एस0ओ0जी0 व थाना को0 नगर की संयुक्त टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए केशवपुर पहाड़वा रेलवे क्रासिंग के पास मुठभेड़ के दौरान 05 शाकिर अंतर्जनपदीय पशु चोर-01. समीर उर्फ लल्लन, 02. तुशाल उर्फ तुफैल, 03. भूपेंद्र यादव उर्फ भूपत, 04. मैनुद्दीन, 05. नयाब को गिरफ्तार कर उनके क़ब्ज़े व निशानदेही से एक अवैध असलहा मय एक जिन्दा व खोखा कारतूस, 01 अदद चार पहिया वाहन, चोरी हुई एक भैंस, एक पाड़ा व 17,000/- नकद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में लगातार पशु चोरी की घटनाएं प्रकाश में आ रही थीं। उक्त घटनाओं को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में घटनाओं के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 04 पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा सक्रिय रूप से क्षेत्र में सघन चेकिंग, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी तथा खुफिया सूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही है। जिसमें आज दिनांक 22.03.2026 को एस0ओ0जी0 व थाना को0 नगर की पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पशु चोर केशवपुर पहाड़वा रेलवे क्रासिंग की तरफ आ रहे है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीमों द्वारा केशवपुर पहाड़वा रेलवे क्रासिंग के पास पकड़ने का प्रयास किया गया। जिसमें पशु चोरों द्वारा स्वयं को घिरता हुआ पाकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी गयी। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में अभियुक्त समीर उर्फ लल्लन के पैर में गोली लगी जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल गोण्डा में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगणो के कब्जे से अवैध असलहा मय जिन्दा व खोखा कारतूस, 01 अदद चार पहिया वाहन, चोरी हुई भैंस, पाड़ा व 17,000/- नकद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. समीर उर्फ लल्लन पुत्र रज्जबअली नि0 फैजाबाद रोड इमाबाड़ा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. तुशाल उर्फ तुफैल पुत्र सुभानी पता बड़ा इमामबाड़ा कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
03. भूपेंद्र यादव उर्फ भूपत पुत्र राम फेरन यादव निवासी छपरा तल्ला मोजा इंदुर थाना फखरपुर जनपद बहराइच।
04. मैनुद्दीन पुत्र शमसुद्दीन निवासी छप्पर तल्ला मौज इंदुर थाना फखरपुर जनपद बहराइच।
05. नयाब पुत्र मोहम्मद हफ़ीजुल्ला निवासी इमामबाड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-242/26, धारा 302(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-338/25, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-179/26, धारा 30(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0-184/26, धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0-49/26, धारा 303(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0-76/26, धारा 305(ए) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-254/26, धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त समीर उर्फ लल्लन का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-214/2023 धारा 379,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-647/2023 धारा 379,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-749/2023 धारा 379,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0-777/2023 धारा 379/411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0-763/2022 धारा 323,504,506,325 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0-338/2025 धारा 303(2),317 (2) बीएनएस थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

अभियुक्त तशाल का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-338/2025 धारा 303(2),317 (2) बीएनएस थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस।
02. 01 अदद पिकअप।
03. 17,000/- रू0 नकद।
04. चोरी की हुई एक भैंस और एक पड़वा

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. प्र0नि0 बिन्देश्वरी मणि त्रिपाठी थाना को0 नगर।
02. एस0ओ0जी0 प्रभारी गौरव सिंह तोमर।
03. नि0आ0 सभाजीत सिंह थाना को0 नगर।
04. उ0नि0 पिन्टू यादव।
05. उ0नि0 दुर्गविजय सिंह।
06. हे0का0 रणधीर सिंह एसओजी0
07. हे0का0 अमित पाठक।
08. हे0का0 राकेश सिंह
09. हे0का0 महेन्द्र।
10. हे0का0 लोकेश नागर।
11. हे0का0 रवि यादव।
12. हेड0 का0 अरूण यादव।
13. हेड0 का0 बिरजू।
14- हेड का0 श्यामलाल
15. का0 जागेश्वर गौड़।

मीडिया सेल, गोण्डा।